रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/ फाल्गुन 10, 1940
No. 147] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/ PHALGUNA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 167(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में जिसको प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से, प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 7 अगस्त, 2018 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, नियम 115 घ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्,

"115 घ मोटर यानों में संकर वैद्युत प्रणाली या विद्दुत किट का रिट्रोफिटमेंट – (1) सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मोटर यानों में संकर विद्दुत प्रणाली का रिट्रोफिटमेंट अथवा विशुद्ध विद्दुत प्रणाली किट के फिटमेंट के साथ शुद्ध विद्दुत संचालन के लिए मोटर वाहनों का संपरिवर्तन, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन के लिए सुनिश्चित किया जायेगा ।

सारणी

क्र. सं.	रेट्रो-फिटमेंट या रूपांतरण और मोटर वाहन श्रेणियों का प्रकार	अनुपालन मानक
(क)	3500 कि.ग्रा. से अनधिक सकल यान भार वाले एल , एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट	* एआईएस-123 (भाग 1) में निर्धारित अपेक्षाओं के लिए सुनिश्चित किया जायेगा
(ख)	3500 कि.ग्रा. से अधिक सकल यान भार वाले एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट	* एआईएस-123 (भाग 2) में निर्धारित अपेक्षाओं के लिए सुनिश्चित किया जायेगा
(ग)	एल, एम, एन 1 और एन 2 श्रेणियों के मोटर वाहनों के इंजन को प्रतिस्थापित करके विशुद्ध वैद्युत प्रणाली किट के फिटमेंट के साथ शुद्ध विद्युत संचालन के लिए मोटर वाहनों का संपरिवर्तन	* एआईएस-123 (भाग 3) में निर्धारित अपेक्षाओं के लिए सुनिश्चित किया जायेगा

टिप्पण:

***** समय समय पर यथासंशोधित एआईएस- 123 (भाग-1) या (भाग 2) या (भाग 3) उस समय तक के जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) के विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दी जाती है, लागू होने के रूप प्रयोग किया जायेगा:

परंतु यह भी संकर विद्दुत प्रणाली किट या शुद्ध विद्दुत प्रणाली के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता उपर्युक्त सारणी में निर्दिष्ट लागू मानक के अनुसार नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा ।"।

[सं. आरटी-11028/04/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1225(अ), तारीख 20.12.2018 के अधीन संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 167(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number

G.S.R 748(E), dated the 7th day of August , 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 7th August, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for rule115D, the following ruleshall be substituted, namely. -

"115 D. **Retro-fitment of hybrid electric system or electric kit to Motor Vehicles. – (1)** Retro-fitment of hybrid electric system kit to motor vehicles or conversion of motor vehicles for pure electric operation with fitment of or Pure Electric System Kitspecified in column (2) of the Table shall confirm to the compliance Standard as specified in column (3) of Table given below.

TABLE

Sr. No.	Type of Retro-fitment or Conversion and Motor Vehicle Categories	Compliance standard
(1)	(2)	(3)
1	Retro-fitment of Hybrid Electric System Kit to vehicles of categories L, M and N having Gross Vehicle Weight not exceeding 3500 kg.	Shall conform to the requirements stipulated in *AIS-123 (Part 1)
2	Retro-fitment of Hybrid Electric System Kit to vehicles of categories M and N having Gross Vehicle Weight exceeding 3500 kg	Shall conform to the requirements stipulated in *AIS-123 (Part 2)
3	Conversion of motor vehicles for pure electric operation with fitment of Pure Electric Propulsion Kit by replacing the engine of Motor Vehicles of categories L, M, N	Shall conform to the requirements stipulated in *AIS-123 (Part 3)

Note:

* AIS-123 Part 1 or 2 or 3 as amended from time to time till such time as corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) shall be used as applicable:

Provided further that manufacturer or supplier of hybrid electric system kit or pure electric system kit shall obtain the type approval certificate from a test agency specified in rule 126 as per the applicable standard referred in the above mentioned Table.".

[No. RT-11028/ 04/2018-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R 1225(E) date 20.12.2018.

\

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.05 22:23:40 +05'30'